उच्च न्यायालय, पटना के क्षेत्राधिकार में
2015 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 14524

==========

डॉ. आनंद कृष्ण पिता स्वर्गीय सुरेन्द्र नाथ सिंह निवासी ग्राम एवं पोस्ट अकवाना, थाना- बरहरा, जिला भोजपुर, आरा।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. प्राचार्य, सरकार पॉलिटेक्निक, गुलजारबाग, पटना-7।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)।

.... प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/प्रतिवादियों की ओर से	:	श्री सियाराम साही
	:	श्री रंजन कुमार सिंह
राज्य की ओर से	:	श्री आर. के. प्रियदर्शी- एससी 32
एआईसीटीई की ओर से	:	सुश्री अर्चना

==========

सेवा कानून---*पदोन्नति---प्रतिवादी के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका जिसके द्वारा व्याख्याता (चयन ग्रेड) में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता की पीएचडी उसके मूल विषय के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ऐसे में, याचिकाकर्ता को कैरियर उन्नति योजना के तहत व्याख्याता (चयन ग्रेड) देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार वैध नहीं है---याचिकाकर्ता की ओर से तर्क कि उसने 03.03.2004 से व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) प्राप्त किया और पांच साल पूरा करने के बाद, याचिकाकर्ता व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नति के लिए वैध रूप से हकदार है क्योंकि उसके पास आवश्यक पात्रता है,*

यानी जिस विषय में वह पढ़ा रहा है उसमें मास्टर डिग्री/पीएचडी---प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए जवाब दिया कि याचिकाकर्ता ने टेक्सटाइल मैनेजमेंट में पीएचडी को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के मूल विषय में पीएचडी नहीं माना जा सकता, जो कि याचिकाकर्ता का मुख्य मौलिक विषय है।

निर्णय: *कैडर क्षमता के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता को कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति/कैरियर प्रगति प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत लेक्चरर (वरिष्ठ स्केल) से लेक्चरर (चयन ग्रेड) में जाने के लिए, शिक्षकों के पास मास्टर डिग्री और वरिष्ठ लेक्चरर/लेक्चरर (वरिष्ठ स्केल) के रूप में पांच साल का अनुभव होना चाहिए और उनके पास लगातार संतोषजनक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट है, वे चयन समिति की सिफारिश के अधीन, लेक्चरर (चयन ग्रेड) के रूप में रखे जाने के पात्र होंगे। याचिकाकर्ता कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत लेक्चरर (वरिष्ठ स्केल) से लेक्चरर (चयन ग्रेड) तक पदोन्नति प्रदान करने के लिए योग्यता और सेवा की अवधि के संबंध में सभी शर्तों को पूरा कर रहा था। कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय प्रगति प्रदान करने के याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है, यह गलत है और वैसे तथ्यों पर आधारित है, जो मौजूद नहीं है। रिट मंजूर की गई। (पैरा 1, 11, 14, 31-34, 37)*

एसएलपी (सी) संख्या 8219-8226 2019, (2018) 3 एससीसी 55

.....पर भरोसा किया गया

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

<u>निर्णय और आदेश</u>

सी.ए.वी.

दिनांक: 17-05-2024

वर्तमान रिट आवेदन प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए दायर किया गया है कि वे 03.03.2009 से व्याख्याता (चयन ग्रेड) में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें, जिसमें सभी परिणामी लाभ शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या 1617, दिनांक 20.07.2011 में निहित आदेश को रद्द करने की भी प्रार्थना की है, जिसके द्वारा व्याख्याता (चयन ग्रेड) में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 14524/2015 दिनांक 17-05-2024 2/17 द्वारा याचिकाकर्ता की उच्च योग्यता उसके मूल विषय के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित पीएचडी की उच्च योग्यता, कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत व्याख्याता (चयन ग्रेड) प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में, 'एआईसीटीई') के मानदंडों के अनुसार मान्य नहीं है।

2. वर्तमान मामले में शामिल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, जिसके पास टेक्सटाइल में बी.टेक. और एम.बी.ए. की योग्यता है, को 28.02.1998 को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गुलजारबाग में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग विभाग में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. याचिकाकर्ता ने 03.03.1998 को कॉलेज में कार्यभार ग्रहण किया और तत्पश्चात 03.03.2004 से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसकी अधिसूचना मेमो संख्या 531, दिनांक 25.02.2008 के तहत जारी की गई।

4. अपनी सेवा अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने जून, 2005 में बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से प्रबंधन संकाय में "भारत में वस्त्र उद्योग की प्रबंधन समस्या" शोध विषय पर पीएचडी पूरी की।

6. विभागीय चयन समिति ने दिनांक 20.04.2011 की अपनी बैठक में याचिकाकर्ता सहित छह व्याख्याताओं के नाम की संस्तुति कैरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत दिनांक 03.03.2009 से व्याख्याता (चयन ग्रेड) के पद पर पदोन्नति के लिए की, इस शर्त के साथ कि पदोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग को यह संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि याचिकाकर्ता के पास एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार निर्धारित योग्यता है।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव ने याचिकाकर्ता को दिनांक 15.04.2011 को पत्र जारी कर दिनांक 18.04.2011 तक समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलजारबाग के माध्यम से विभाग को भेज दिए। शैक्षिक योग्यता के सत्यापन के बाद संयुक्त सचिव ने प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, गुलजारबाग को दिनांक 20.07.2011 को विवादित पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता की उच्च योग्यता, यानी टेक्सटाइल मैनेजमेंट में

पीएचडी, उसकी मूल योग्यता, यानी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बी.टेक. से संबंधित नहीं है। तदनुसार, पीएचडी का लाभ एआईसीटीई की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत लागू नहीं है और 12000-420-15200 के वेतनमान में लेक्चरर (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नति के उद्देश्य के लिए वैध नहीं है।

8. याचिकाकर्ता ने निदेशक और अन्य को उपरोक्त विवादित पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें सभी दस्तावेज संलग्न थे और कहा कि वह व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नत होने के योग्य है क्योंकि उसके पास मास्टर डिग्री और व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) के रूप में कार्य करने का पांच साल का अनुभव है और विभागीय चयन समिति द्वारा उसका प्रदर्शन और मूल्यांकन रिपोर्ट लगातार संतोषजनक रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि टेक्सटाइल मैनेजमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जिसे याचिकाकर्ता सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, गुलजारबाग में पढ़ाता है और यह एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार तकनीकी शिक्षा के दायरे में आता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एआईसीटीई ने अपने पत्र, दिनांक 30.12.1999 (अनुलग्नक 2) के माध्यम से, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकनीकी शिक्षा से संबंधित सचिवों को संबोधित करते हुए तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में संशोधन की सिफारिश की है, जिसमें खंड 8.3 व्याख्याता (चयन ग्रेड) से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि एक वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) जिसके पास मास्टर डिग्री है और वरिष्ठ व्याख्याता या व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) के रूप में 5 साल का अनुभव है, और लगातार संतोषजनक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट है, वह चयन समिति की सिफारिश के अधीन व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

10. इसके अलावा, ए आई सी टी ई ने अपने पत्र दिनांक 30.12.1999 के माध्यम से 12000-420-18300 के समान वेतनमान वाले विभागाध्यक्ष के लिए योग्यता इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी की उपयुक्त शाखा में मास्टर डिग्री के साथ मास्टर या स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी या मानविकी और विज्ञान की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री के साथ पीएचडी बताई है। इसके अलावा, व्याख्याता या समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/उद्योग/अनुसंधान में 5 साल का अनुभव आवश्यक था।

11. याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उसे 03.03.2004 से व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) मिला और पांच साल पूरे करने के बाद, याचिकाकर्ता व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नति के लिए वैध रूप से हकदार है क्योंकि उसके पास आवश्यक पात्रता है, यानी मास्टर डिग्री/पीएचडी। जिस विषय में वह पढ़ा रहे हैं, उसमें उनका तर्क है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि प्रासंगिक विषयों में मास्टर/पीएचडी किया जाना चाहिए। यदि पीएचडी को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तब भी याचिकाकर्ता के पास एमबीए की डिग्री है, जो मास्टर डिग्री है।

12. विवादित पत्र ए.आई.सी.टी.ई. के मानदंडों के विपरीत यांत्रिक तरीके से जारी किया गया है। एमबीए को भी मास्टर डिग्री माना जाता है और यह इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के समकक्ष है। शेष पांच व्याख्याताओं, जिन्हें विभागीय चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया गया था, को ज्ञापन संख्या 1577, दिनांक 13.07.2011 के अनुसार व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नति प्रदान की गई है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**, **(2018) 3 एस सी सी 55** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

14. दूसरी ओर, राज्य और ए आई सी टी ई के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सरकारी संकल्प और ए आई सी टी ई मानदंडों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, ऐसे में याचिकाकर्ता व्याख्याता (चयन ग्रेड) में पदोन्नति पाने का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है, लेकिन टेक्सटाइल मैनेजमेंट में उसकी पीएचडी को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के मूल विषय में पीएचडी नहीं माना जा सकता है, जो याचिकाकर्ता का मुख्य मौलिक विषय है। पीएचडी/मास्टर डिग्री टेक्सटाइल मैनेजमेंट में की जानी चाहिए। उपयुक्त विषय/प्रासंगिक विषय। वे 'प्रासंगिक/उपयुक्त विषय' शब्दों पर जोर देते हैं।

15. मैंने संबंधित पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

16. याचिकाकर्ता ने योग्यताओं के बीच स्ट्रोक ('/') का उपयोग करके अपने तर्क का समर्थन करने के लिए आशीष कुमार (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब दोनों में से कोई भी योग्यता आवश्यक हो।

17. बिहार सरकार ने ए आई सी टी ई द्वारा कार्यान्वित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत लेक्चरर (चयन ग्रेड) सहित विभिन्न श्रेणी के पदों के संशोधित वेतनमान देने के लिए दिनांक 02.01.2003

को एक संकल्प जारी किया, जिसके तहत उसके पत्र दिनांक 30.12.1999 को जारी किया गया। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत निर्धारित प्रासंगिक योग्यताएं उपरोक्त संकल्प के खंड 3.5 और 3.6 में हैं।

18. खंड 3.5 (ii) व्याख्याता (चयन ग्रेड) से संबंधित है। व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नति प्रदान करने के लिए निर्धारित पात्रता शर्त निम्नानुसार है:

> **"(ii)** व्याख्याता (प्रवर कोटी)- अभियंत्रण / गैर अभियंत्रण संकायों के क्रमशः मास्टर डिग्री / पीएच. डी. उपाधि धारित वरीय व्याख्याता / व्याख्याता (वरीय वेतनमान) जो वरीय व्याख्याता / व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के पदों पर पाँच वर्षों का अनुभव रखते हों वे चयन समिति के अनुशानसोपरान्त इस कोटी मरण प्रोन्नत हो सकेंगे ।''

19. खंड 3.6 (i) में कहा गया है कि एआईसीटीई द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान सहित निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों को पूरी योजना के हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा।

20. ए आई सी टी ई ने 30.12.1999 को डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कर्मियों के वेतनमान और संबंधित सेवा शर्तों के संशोधन पर एक अधिसूचना जारी की। डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों की कैडर संरचना खंड 3 में दी गई है, जो इस प्रकार है:

> "3.0 कैडर संरचना
>
> प्रत्येक डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के लिए निदेशक/प्रधानाचार्य का एक पद होगा। इसके

अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष का एक पद होगा। अन्य कैडर तालिका 3.1 में दिए अनुसार होंगे।

तालिका 3.1

डिप्लोमा स्तर के संस्थानों की कैडर संरचना

स्तर	कैडर
I	व्याख्याता
II	वरिष्ठ व्याख्याता

वरिष्ठ व्याख्याताओं और व्याख्याताओं का अनुपात 1:3 होगा।

विभागों के प्रमुखों सहित संस्थानों में शिक्षकों की आवश्यक कुल संख्या ए आई सी टी ई मानदंडों के अनुसार स्टाफ/छात्र अनुपात द्वारा निर्धारित की जाएगी।

तालिका 3.1 में दिए गए कैडर ढांचे के अतिरिक्त, कैरियर उन्नति योजना निम्नलिखित शिक्षण पदों के लिए प्रावधान करेगी, लेकिन प्रत्येक विभाग की समग्र स्वीकृत संख्या के भीतर:

i) व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल)

ii) व्याख्याता (चयन ग्रेड)"

21. डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में विभिन्न शिक्षण पदों के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यता और अनुभव इस अधिसूचना के परिशिष्ट-बी में दिए गए हैं। अधिसूचनाओं के खंड 5.0 2.(I) में कहा गया है कि संशोधित योग्यता और अनुभव केवल उस पद पर नए नियुक्तियों के लिए आवश्यक होंगे और उन पदों पर काम कर रहे

मौजूदा पदाधिकारियों के लिए इस पर जोर नहीं दिया जाएगा। 22. ए आई सी टी ई की उक्त अधिसूचना में कैरियर उन्नति योजना खंड 8.1 में निर्धारित है।

22. कैरियर उन्नति में लेक्चरर (वरिष्ठ स्केल), वरिष्ठ लेक्चरर/लेक्चरर (वरिष्ठ स्केल) से लेक्चरर (चयन ग्रेड) तक कैरियर में बदलाव का प्रावधान है। कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति के लिए, खंड 8.1 (बी) में निर्धारित शर्त इस प्रकार है:

(i) उम्मीदवार के पास लगातार संतोषजनक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट होनी चाहिए।

(ii) मूल्यांकन और चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जैसा कि संबंधित संस्थान द्वारा सामान्य चयन के लिए आवश्यक है।

(iii) कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नत किए गए शिक्षक के निर्धारित शिक्षण/संपर्क घंटे उनके मूल पद के समान ही रहेंगे।

23. खंड 8.2 लेक्चरर (वरिष्ठ स्केल) से संबंधित है और खंड 8.3 लेक्चरर (चयन ग्रेड) से संबंधित है।

24. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) प्रदान किया गया था और वह कैरियर उन्नति योजना के अनुसार व्याख्याता (चयन ग्रेड) के लिए विचार किए जाने का हकदार था। धारा 8.3 में कहा गया है कि एक वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) जिसके पास मास्टर डिग्री है और व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) के वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है, और जिसकी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट लगातार संतोषजनक है, वह चयन समिति की सिफारिश के अधीन व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

25. तालिका A-1 डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित करती है और तालिका A-2 डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों के लिए कैरियर उन्नति योजना के तहत शिक्षण पदों के लिए वेतनमान निर्धारित करती है। तालिका A-1 और A-2 इस प्रकार हैं:

तालिका A-1

डिप्लोमा स्तर के शिक्षकों के वेतनमान के लिए तकनीकी संस्थान

क्र. सं.	श्रेणी	मौजूदा वेतनमान (रु.)	प्रस्तावित वेतनमान (रु.)
1.	व्याख्याता	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
2.	वरिष्ठ व्याख्याता	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
3.	विभाग के प्रमुख।	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
4.	प्रधानाचार्य	4500-150-5700-200-6300	16400-450-20000

तालिका ए-2

कैरियर विकास के तहत शिक्षण पदों के लिए भुगतान की सीमाएँ

डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों के लिए योजना

क्र. सं.	श्रेणी	मौजूदा वेतनमान (रु.)	प्रस्तावित वेतनमान (रु.)
1.	व्याख्याता	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200 (सीनियर स्केल)
2.	व्याख्याता	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300 (चयन श्रेणी)

26. ए आई सी टी ई मानदंडों और ए आई सी टी ई मानदंडों, दिनांक 30.12.1999 के आधार पर सरकारी संकल्प, दिनांक

02.01.2003 को बारीकी से देखने पर, यह प्रतीत होता है कि कैरियर उन्नति योजना के तहत व्याख्याता (चयन ग्रेड) के वेतनमान के अनुदान के लिए, शिक्षक को इंजीनियरिंग / गैर-इंजीनियरिंग संकाय / पीएचडी में मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ व्याख्याता या व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) धारक, जिनके पास अपने संबंधित पद पर पांच वर्ष का अनुभव है।

27. कैरियर उन्नति योजना, अधिसूचना के खंड 8.3 में, दिनांक 30.12.1999, व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) से व्याख्याता (चयन ग्रेड) में कहा गया है कि एक वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान), जिसके पास मास्टर डिग्री है और वरिष्ठ व्याख्याता या व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है, और लगातार संतोषजनक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट है, चयन समिति की सिफारिश के अधीन व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

28. विवाद इस तथ्य के इर्द-गिर्द टिका है कि प्रतिवादी-राज्य के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास कैरियर उन्नति योजना के तहत व्याख्याता (चयन ग्रेड) के अनुदान के लिए अपेक्षित पात्रता योग्यता नहीं है।

29. डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों की संवर्ग संरचना के अवलोकन पर, जैसा कि खंड 3 में निर्धारित है, निदेशक/प्राचार्य का एक पद है, और इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष का एक पद होगा। अन्य संवर्ग व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याता होंगे। ए आई सी टी ई मानदंडों की तालिका 3.1, दिनांक 30.12.1999 में वर्णित संवर्ग संरचना के अतिरिक्त, कैरियर उन्नति योजना प्रत्येक विभाग की

समग्र स्वीकृत क्षमता के भीतर व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) और व्याख्याता (चयन ग्रेड) के शिक्षण पद प्रदान करेगी।

30. अधिसूचना के परिशिष्ट बी में संवर्ग शक्ति के तहत पद पर भर्ती के लिए योग्यता प्रदान की गई है, लेकिन कैरियर उन्नति योजना के अनुदान के लिए अधिसूचना, दिनांक 30.12.1999 के खंड 8 और संकल्प, दिनांक 02.01.2003 के खंड 3.5 और 3.6 में अलग प्रावधान किए गए हैं।

31. संवर्ग शक्ति के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता कैरियर उन्नति योजना के तहत इन-सीटू पदोन्नति/कैरियर प्रगति के अनुदान के लिए लागू नहीं की जा सकती है।

32. याचिकाकर्ता के मामले को व्याख्याता (चयन ग्रेड) के वेतनमान के अनुदान के लिए कैरियर उन्नति योजना के तहत निपटाया जाना आवश्यक है। बहस के दौरान, प्रतिवादी-राज्य के साथ-साथ एआईसीटीई ने विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए परिशिष्ट बी में निर्धारित योग्यता पर भरोसा किया, जो मेरे विचार में, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत लेक्चरर (सीनियर स्केल) से लेक्चरर (चयन ग्रेड) में जाने के लिए, शिक्षकों के पास मास्टर डिग्री और सीनियर लेक्चरर/लेक्चरर (सीनियर स्केल) के रूप में पांच साल का अनुभव होना चाहिए और उनके पास लगातार संतोषजनक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट है, वे चयन समिति की सिफारिश के अधीन लेक्चरर (चयन ग्रेड) के रूप में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

33. याचिकाकर्ता के पास मास्टर डिग्री है क्योंकि उसने भारत में कपड़ा उद्योग की प्रबंधन समस्या विषय पर एमबीए और पीएचडी भी पूरी की है। उनके पास लेक्चरर (सीनियर स्केल) के रूप में

पांच साल का अनुभव भी है और उनके मामले पर विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति/चयन समिति द्वारा विचार किया गया था, जिसने याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश इस शर्त के साथ की थी कि पदोन्नति का आदेश जारी करने से पहले, प्रशासनिक विभाग को यह संतुष्ट होना चाहिए कि याचिकाकर्ता के पास एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार निर्धारित योग्यता है।

34. यहां तक कि राज्य सरकार के संकल्प, जो एआईसीटीई के मानदंडों पर आधारित है, दिनांक 30.12.1999 में कहा गया है कि कैरियर उन्नति योजना के तहत व्याख्याता (चयन ग्रेड) से पदोन्नति के लिए, व्यक्ति के पास इंजीनियरिंग/गैर-इंजीनियरिंग संकाय में मास्टर डिग्री/पीएचडी धारक वरिष्ठ व्याख्याता या व्याख्याता (वरिष्ठ स्केल) की योग्यता होनी चाहिए, जिनके पास अपने संबंधित पद पर पांच साल का अनुभव हो।

35. सर्वोच्च न्यायालय ने **आशीष कुमार** (सुप्रा) के पैराग्राफ 16 और 19 में इस प्रकार माना है:-

> "16. मूल विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ने से जो स्थानीय भाषा में है, यह संकेत मिलता है कि जो निर्धारित किया गया था वह था, "मनोविज्ञान विषय में स्नातक/एलटी/बीटी/बीएड"। स्नातक और एलटी/बीटी/बीएड के बीच स्ट्रोक का उपयोग यह दर्शाता है कि सभी वैकल्पिक योग्यताएं थी। विज्ञापन को एलटी/बीटी/बीएड के साथ मनोविज्ञान में स्नातक प्रदान करने के अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने पढ़ा है और प्रतिवादी ने तर्क दिया है।

19. ऊपर दिए गए विज्ञापन के अर्थ को स्वीकार करने का एक और कारण है। विज्ञापन में, विभिन्न योग्यताओं के संबंध में, शब्द (या), (साथ), (दोनों में से कोई भी) और स्ट्रोक '(/)' का उपयोग किया गया है। नियुक्ति प्राधिकारी स्ट्रोक '(/)' के अर्थ से अच्छी तरह वाकिफ है, शब्द "या", "दोनों में से कोई भी" और "साथ" जो योग्यताओं में अक्सर इस्तेमाल किए गए हैं जो विज्ञापन यानी अनुलग्नक ए-1 से स्पष्ट है। नियुक्ति प्राधिकारी ने शब्द 'साथ' का इस्तेमाल किया, जब वह दोनों योग्यताएं एक साथ चाहता था। जहां भी स्ट्रोक '(/)' का इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल तब किया गया था जब दोनों में से कोई भी योग्यता इंगित की गई थी। विज्ञापन अनुलग्नक ए-1 में विभिन्न पदों के लिए योग्यताएं दी गई हैं और कई योग्यताओं में स्ट्रोक (/) का इस्तेमाल किया गया है। उन योग्यताओं पर गौर करने से स्पष्ट है कि एक या दोनों योग्यताओं को दर्शाने वाली अन्य योग्यताओं में स्ट्रोक (/) का इस्तेमाल किया गया था।"

36. अमरेश कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [एसएलपी (सी) संख्या 8219-8226/2019] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए भर्ती नियमों के तहत निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं पूरी करना गैर-कार्यात्मक इन-सीटू पदोन्नति के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति के उद्देश्य के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता इन-सीटू पदोन्नति प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात, केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए, जहां कोई पदोन्नति के अवसर नहीं हैं और कर्मचारियों के स्थिर होने की संभावना है।

37. इस प्रकार, उपर्युक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में और सरकारी परिपत्र और एआईसीटीई के मानदंडों में निर्धारित कैरियर उन्नति प्रदान

करने की शर्तों को पढ़ने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि याचिकाकर्ता 12000-420-15200 के वेतनमान में व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) से व्याख्याता (चयन ग्रेड) तक कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति प्रदान करने के लिए योग्यता और सेवा की अवधि के संबंध में सभी शर्तों को पूरा कर रहा था। प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति/वित्तीय प्रगति प्रदान करने के दावे को इस आधार पर खारिज करना कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है, गलत है और तथ्यों पर आधारित है, जो मौजूद नहीं है।

38. परिणामस्वरूप, इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है, संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या 1617, दिनांक 20.07.2011 में निहित विवादित आदेश को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

39. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 03.03.2009 से सभी परिणामी और मौद्रिक लाभों के साथ व्याख्याता (चयन ग्रेड) का वेतनमान प्रदान करें, अर्थात जिस तिथि को विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति ने व्याख्याता (चयन ग्रेड) के वेतनमान के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की थी।

40. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

41. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।